



में बुद्धापे पर पहली जनरल असेंबली आयोजित की थी, जिसमें वृद्ध महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा की चर्चा की गई। सन् 1990 में जनरल असेंबली ने वृद्धों के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। सन् 1991 में 46वें सत्र में वृद्ध महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा की गयी। सन् 2002 में संयुक्तराष्ट्र की वृद्धों पर द्वितीय विश्व असेंबली हुई और सन् 2010 में 45वें अधिवेशन में भी वृद्ध महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और उन पर उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तय की गई। यथा— डायन प्रथा, वृद्ध विधवाओं की हत्या, आरोप लगाकर प्रताड़ित करना इत्यादि। भारतवर्ष में तो वृद्ध महिलाओं की सम्पत्ति को हथियाने के लिए सामान्यतया इस प्रकार के क्रिया— कलापों को दबांग लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता रहा है। इसी के महेनजर सन् 1999 में भारत सरकार ने वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसमें वृद्ध महिलाओं की विशिष्ट प्रतिक्रिया पर बहुत अल्प बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के रहते हुए भी इसका लाभ ये नहीं प्राप्त कर पाती हैं। 'स्वधार स्कीम' या 'इन्दिरा गांधी विधवा पेशन' में भी व्यापक स्पतर पर भट्टाचार उजागर होता रहा है। येन— केन प्रकारे वृद्ध महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में घरेलू महिला तक को ऐसी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि घरेलू महिलाओं का समाज अत्यल्प सरोकार रहता है और संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी इनमें कम ही पायी जाती है। अतः वृद्ध महिलाओं को इनके लिए निर्मित सामाजिक कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की प्राप्ति का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारियों, चुनाव आयोग, बैंकों, अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों, रेलवे, हवाई जहाज और बस सेवाओं को वृद्ध महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं में वृद्धि किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, वृद्ध महिलाओं की स्थिति और सुविधाओं के अध्ययनार्थ अलग से मंत्रालय की स्थापना किया जाना चाहिए। साथ ही, महिला संगठनों को भी वृद्ध महिलाओं, खासकर दलित—आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्यक, अनाथ व अकेली, और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की वृद्ध महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति, उनके पोषण और उनकी निरक्षरता तथा उनके अपंगता हासे की स्थिति आदि का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वृद्ध महिलाओं के मुद्दे को तार्किक रूप से उठाये जायेंगे और उन्हें अपने निष्काय जीवन से उद्बारकर उनके सहकारी संस्थाओं का निर्माण करवाकर उत्पादकता से सम्बद्ध की जायेगी, तो उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए और कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित तथा पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था भी करना नितान्त आवश्यक हैं, इन उपायों के माध्यम से वृद्ध महिलाओं के जीवन के अन्तिम समय को सुखप्रद, संतोषप्रद और शांतिमय बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- पति, डॉ कुमुदिनी: "दें बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान", आधी दुनिया, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी, 15 मई—2013.
- Bose, Ashish: Meeting India's Best Needs: The Human Development Inde. Delhi. 1996.
- Burgess, E-W- and Locke, H-J-: The Family, American Book, New York, 1963.
- Cammille, Vallau: Encyclopedia of the Social Sciences Mcmillan, New York, 1930.
- Human Development Report, 2009. Yojana, June & 2010.
